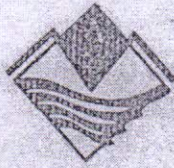


क्रम संख्या-79

पंजीकृत संख्या-गु0ए0/डी0ओ0/डी0सी0एन0/30/2012-14
(लाइसेंस टु पोस्ट रिदाउट प्रीप्रेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 ई0

वैशाख 08, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 155/XXX(2)/2015-30(39) 2014

देहरादून, 28 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 बा0-48

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यवादेन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 को अधिक्रमित करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

✓ उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा), नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 है।

- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

- (3) यह समस्त प्रकार के सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह नियमावली, किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।

परिभाषाये

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद-

(क) "समुचित प्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सरकार द्वारा यथास्थिति प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो;

(ख) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "सरकारी सेवक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो;

(ङ) "रिपोर्ट" से किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्धून अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(च) "सचिवालय" से सरकार का सचिवालय अभिप्रेत है;

(छ) "वर्ष" से किसी कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

प्रतिकूल
अच्छा/सन्तोषजनक,
उत्तम, अतिउत्तम,
उत्कृष्ट रिपोर्ट की
संसूचना और
प्रत्यावेदन के
निपटाने के लिये
प्रक्रिया

4. (1) जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट अन्तिम होने के पश्चात् पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक या अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट हो, जिसे आगे रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर संपूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा।
- (2) सरकारी कर्मचारी, उपनियम (1) के अधीन प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही कर सकता है।
- (3) सरकारी कर्मचारी यदि उपनियम (1) के अधीन संसूचित पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक या अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन देना चाहता है, तो वह ऐसी रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार संसूचित रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो, तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को कर सकता है—
परन्तु यदि यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं तो ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिये 45 दिन की अग्रतर अवधि की अनुमति दे सकता है।
- (4) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) तथा (3) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट अभिलिखित

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका-टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी, यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका-टिप्पणी भेजने से पहले सेवा में न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो, या निलम्बनाधीन हो।

- (5) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टीका-टिप्पणी प्राप्त न हुई हो तो टीका-टिप्पणी की प्रतीक्षा किये बिना—
 - (क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुये; या
 - (ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः जैसा वह उचित समझे निकालते हुये सकारण आदेश पारित करेगा।
 - (ग) अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट को जैसा कि उचित समझे सकारण आदेश पारित करते हुये उन्नत (upgrade) करेगा।
- (6) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हों, तो वह इस सम्बन्ध में अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिये ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।
- (7) उपनियम (5) के अधीन पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में संसूचित किया जायेगा।
- (8) जहाँ उपनियम (5) के अधीन प्रतिकूल प्रविष्टि निकालने का आदेश पारित किया जाये, वहाँ यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गयी प्रविष्टि को विलुप्त कर देगा।
- (9) जहाँ उपनियम (5) के अधीन अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि को निकालकर उन्नत (upgrade) करने का आदेश पारित किया जाये, वहाँ यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी ऐसी प्रविष्टि को विलुप्त करके उन्नत (upgrade) की गई प्रविष्टि को रखेगा।
- (10) उपनियम (5) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।

- (एक) किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट प्रविष्टि की संसूचना;
- (दो) किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन;
- (तीन) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका-टिप्पणी के लिये प्रत्यावेदन भेजे जाने;
- (चार) समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी; या
- (पांच) किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे का कोई मामला इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हो वहां ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिये विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपनियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिये इस नियम के अधीन विहित अवधि की संगणना करने में इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नहीं की जायेगी।

रिपोर्ट का प्रतिकूल न समझा जाना 5. वित्त हस्तपुस्तिका के खण्ड दो के भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश मूल नियम-56 में यथा उपबन्धित के सिवाय जहां कोई प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित नहीं की जाती है या जहां किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम-4 के अनुसार नहीं निपटाया गया है वहां ऐसी प्रविष्टि को, सम्बन्धित सरकारी सेवक की पदोन्नति, और अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा।

अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट का उन्नत (upgrade) होने पर प्रभाव 6. जहां अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर विचार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रविष्टि को उन्नत (upgrade) करने के आदेश पारित करते हैं, तो वहां, यदि सम्बन्धित कार्मिक ऐसी प्रविष्टि के कारण पदोन्नति के समय अनुपयुक्त हुआ है या अन्य सेवा संबंधी लाभ से वंचित हुआ हो, तो प्रविष्टियां उन्नत (upgrade) करने के पश्चात् उसकी पदोन्नति तथा अन्य सेवा संबंधी लाभ के संबंध में पुनः विचार किया जायेगा तथा "उपयुक्त" पाये जाने की स्थिति में उसे कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति या सेवा संबंधी लाभ दिये जायेंगे।

श्रेणी परिवर्तन के कारणों के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा सव्यक्त आदेश (Speaking Order) जारी

रजिस्टर का
रख-रखाव

7. यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, एक रजिस्टर रखेगा और उसमें समुचित प्रविष्टियां करेगा।

शास्ति

8. (1) जहां सम्बन्धित सरकारी सेवक को किसी प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट प्रविष्टि को संसूचित करने के लिये विधिक रूप से बाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रविष्टि के विरुद्ध किसी प्रत्यावेदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी, उसके लिये विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में जानबूझकर विफल रहता है, वहां वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

- (2) सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का कोई प्रभारी अधिकारी या पदधारी प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी और अन्य सुसंगत अभिलेखों को, यदि कोई हो, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष रखेगा। इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझकर किया गया कोई व्यक्तिगत कदाचार होगा और वह उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा।

व्यावृत्ति

9. नियम 4 के उपनियम (11) में विनिर्दिष्ट किसी नामले के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गयी कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गयी कार्यवाही या किया गया कृत्य समझा जायेगा।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

2-9-2015